

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

संकल्प

विषय:— बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024

1. प्रस्तावना

विश्व में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण भारत में होता है। वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा 12,226 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। भारतीय सिनेमा अर्थव्यवस्था में न केवल मनोरंजन का स्रोत है बल्कि रोजगार एवं पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। सामाजिक मुद्दों को उजागर करने एवं सामाजिक चेतना को जगाने में भी सिनेमा का अहम योगदान है। समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करके सिनेमा एक सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है।

बिहार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कई बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्मों का स्थल रहा है। साथ ही कई बिहारी लेखकों, अभिनेताओं और निर्देशकों ने इस उद्यम में अपनी पहचान बनाई है। बिहारी संस्कृति और सिनेमा के मेलजोल से होने वाले मिलन से सिनेमा का दृष्टिकोण विविध कथाओं और कहानियों से भरा होता है जो सिनेमैटिक दृश्यों को समृद्धि प्रदान करता है।

बिहार एक समृद्ध और बहुमुखी परंपरा और संस्कृति में डूबा हुआ राज्य है। एक ऐसा राज्य जो प्राचीन भारतीय इतिहास की आधारशिला है। वह स्थान जहाँ बौद्ध, हिन्दू, जैन, सिख धर्म और सूफी की जड़े हैं। यह राज्य भारत को समृद्ध, अलौकिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन प्रदान करने के लिए जाना जाता है।

राज्य सरकार फिल्म निर्माण, फिल्म पर्यटन, फिल्म निर्माण में निवेशों को प्रोत्साहित करने, फिल्म से संबंधित आधारभूत संरचना को स्थापित करने, युवाओं को कुशल बनाने तथा रोजगार सृजन करने की संभावना को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने एवं इससे जुड़े व्यवसायों में रोजगार को बढ़ावा देने तथा राज्य के अमूल्य विरासत, संस्कृति एवं दार्शनिक स्थलों के प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार हेतु यह नीति बनाई गई है।

2. दृष्टिकोण

बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना।

3. परिभाषाएँ

- 3.1 फिल्म नीति — बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024।
- 3.2 अधिनियम— भारतीय चलचित्र अधिनियम 1952।
- 3.3 फिल्म निगम— बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम।

- 3.4 सरकार— बिहार सरकार।
- 3.5 प्रबंध निदेशक— बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम के प्रबंध निदेशक
- 3.6 'फिल्म' का अर्थ है एक सिनेमेटोग्राफ फिल्म अथवा सिनेमा चलचित्र।
- 3.7 'सिनेमेटोग्राफ फिल्म' का अर्थ है दृश्य रिकॉर्डिंग का कोई भी काम है और जिसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग शामिल है और
- 3.8 'सिनेमेटोग्राफ' का अर्थ है वीडियो फिल्मों सहित सिनेमेटोग्राफी के अनुरूप किसी भी प्रक्रिया द्वारा निर्मित किसी भी कार्य को शामिल करना होगा और इसमें फीचर फिल्में, लघु फिल्म, वृत्तचित्र, टीवी श्रृंखला, वेब श्रृंखला द्वारा विज्ञापन फिल्में शामिल होंगी।

4. उद्देश्य

- 4.1 राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना
- 4.2 बिहार की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, विरासत और समृद्ध परंपराओं का फिल्म के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना
- 4.3 राज्य की प्रादेशिक भाषाओं में अच्छी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना
- 4.4 राज्य के अद्भुत, सुंदर, ऐतिहासिक एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना एवं इन स्थलों पर फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना
- 4.5 फिल्म निर्माण हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना एवं इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करना
- 4.6 राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की आसान प्रक्रिया बनाना
- 4.7 स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना
- 4.8 फिल्म उद्योग से संबंधित कौशल तथा सेवा क्षेत्र का विकास करना

5. रणनीति :-

- 5.1 राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना
- 5.2 आधारभूत संरचना बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराना
- 5.3 फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना
- 5.4 फिल्म निर्माण के लिए बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ निश्चित करना

6. संस्थागत तंत्र

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार फिल्म निर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। यह फिल्म निर्माण के कार्यान्वयन तथा इससे संबंधित अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम को मजबूत करेगा जो उसके प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त यह बिहार फिल्म

प्रोत्साहन नीति 2024 के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में मांग सं०-8 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-0101-बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, विपत्र कोड 082205001900101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106-सहायता अनुदान-गैर वेतन में फिल्म विकास एवं वित्त निगम के लिए वित्तीय प्रावधान भी करेगा। नीति के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग नीति के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक/वित्तीय तथा संस्थागत निर्णय लेगा।

7. सशक्त समिति

राज्य में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के स्पष्टीकरण, निर्वचन, समीक्षा, विवाद समाधान के लिए एक सशक्त समिति गठित की जाएगी। विकास आयुक्त, बिहार सरकार समिति के अध्यक्ष होंगे तथा इसमें अन्य हितधारक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे। यह समिति, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के अधीन अनुदान स्वीकृति अनुशंसा, नीति व्याख्या, संशोधनों तथा विवाद निराकरण हेतु प्राधिकृत होगी।

सशक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

क्र० सं०	सशक्त समिति के सदस्य	पदनाम
1	विकास आयुक्त, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	सदस्य सचिव
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव गृह विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उद्योग विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पर्यटन विभाग	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नगर विकास विभाग	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग	सदस्य

टिप्पणी : यह समिति अपेक्षानुसार किसी अन्य विभाग/ निदेशालय/बोर्ड/ट्रस्ट (न्यास)/ संगठन आदि को बुलाने के लिए सशक्त होगी।

8. बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम (फिल्म निगम) राज्य में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। फिल्म निगम बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, चेकलिस्ट, फॉर्मेट, करार एवं आवेदनो की समीक्षा एवं उनके आपत्ति निराकरण का कार्य करेगी।

9. फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (एफ एफ सी)

राज्य में एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम में प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत होगा। फिल्म निगम के अधीन यह प्रकोष्ठ प्रशासनिक निर्णयों का निर्वहन, फिल्म शूटिंग की मंजूरी, प्रमाणन आदि को सरल बनाने तथा दैनंदिन कार्य करेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य विभिन्न विभाग/निदेशालय/बोर्ड/निगम आदि से होंगे :

क्र०	फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के सदस्य	पदनाम
1	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव/निदेशक संस्कृति, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	सदस्य
3	संयुक्त सचिव/निदेशक, सूचना जनसंपर्क विभाग	सदस्य
4	संयुक्त सचिव/निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य
5	संयुक्त सचिव/निदेशक, वित्त विभाग	सदस्य
6	संयुक्त सचिव/निदेशक, परिवहन विभाग	सदस्य
7	संयुक्त सचिव/निदेशक, गृह विभाग	सदस्य
8	संयुक्त सचिव/निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
9	संयुक्त सचिव/निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
10	निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य
11	निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना	सदस्य
12	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत फिल्मों के विभिन्न पहलुओं से जुड़े राज्य के 5 सदस्य	सदस्य
13	महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम	सदस्य सचिव

टिप्पणी: यह समिति अपेक्षानुसार केन्द्रीय मंत्रालय/एजेंसी/राज्य के विभाग/निदेशालय/बोर्ड/ट्रस्ट/संगठन आदि के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए सशक्त होगी।

- 9.1 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ राज्य में फिल्म निर्माण को आसान बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा।
- 9.2 फिल्म शूट के दौरान फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ विभागों/निदेशालयों/राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय पदधारियों से सम्पर्क करेगा।
- 9.3 फिल्म निर्माताओं के लिए आवेदन देने से लेकर सब्सिडी देने तक की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने हेतु फिल्म सरलीकरण प्रकोष्ठ उत्तरदायी होगा।
- 9.4 यह प्रकोष्ठ ऑनलाईन सभी आवेदन प्राप्त करेगा एवं फिल्मांकन की अनुमति, फिल्म अनुदान हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करेगा।
- 9.5 अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता एवं बजट का परीक्षण फिल्म प्रकोष्ठ करेगा और अपनी अनुशंसा सशक्त समिति के समक्ष रखेगा। इस कार्य हेतु निगम अपने अधीन एक समिति का गठन करेगा जिसमें पटकथा लेखन एवं वित्त विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- 9.6 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ इस नीति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदंड एवं अन्य सभी प्रपत्र एवं अनुबंध जो कि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हों, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा।
- 9.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म नीति संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीयन शुल्क आवश्यकतानुसार तय कर सकेगा।
- 9.8 यह प्रकोष्ठ फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थलों का संकलित विवरण समय-समय पर प्रकाशित करेगा एवं प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम हेतु प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करेगा।
- 9.9 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, गोष्ठी, सेमिनार आदि में भागीदारी पर निर्णय लेगा, जो राज्य में फिल्म नीति को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। राज्य में भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय फिल्म समारोह/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करेगा।
- 9.10 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा फिल्म नगरी मुम्बई में निर्माताओं को फिल्म बनाने के लिए आकर्षित करने/सुविधा प्रदान करने के लिए शाखा कार्यालय आवश्यकतानुसार स्थापित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

- 9.11 फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ मेकअप कलाकारों, कॉस्ट्यूम डिजाइनरों, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनरों, बिजली और प्रकाश तकनीशियनों, स्पोर्ट बॉय, सहायक निर्देशकों और बिहार में आधारित किसी भी अन्य प्रासंगिक भूमिका सहित फिल्म कर्मीदलों और सहायक संसाधनों की एक सूची बना कर रखेगा।
- 9.12 प्रकोष्ठ नियमित रूप से फिल्म निर्देशकों और प्रोडक्शन हाउसों के साथ डेटाबेस साझा करेगा। इसे फिल्म निगम की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 9.13 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफ.टी.टी.आई. पुणे एवं सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा अन्य समकक्ष संस्थानों में राज्य के अध्ययनरत छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।
- 9.14 फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों जैसे सिनेमैटोग्राफी, अभिनय, पटकथा लेखन, निर्देशन, संपादन आदि को बिहार संगीत नाटक एवं फिल्म विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में डिग्री/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण संस्थानों के साथ संबद्धता से शुरू करने की पहल करेगा।
- 9.15 फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए फिल्म कर्मीदल के साथ इंटर्नशिप की व्यवस्था करेगा।
- 9.16 फिल्म निर्माण और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के विकास के संबंध में पता लगाया जाएगा।
- 9.17 राष्ट्रीय नाट्य संस्थान और फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों के बिहार में अपने परिसरों की स्थापना के लिए उनके साथ एमओयू/टार्ई-अप की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।
- 9.18 फिल्म प्रौद्योगिकी, एवीजीसी (एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स), ग्राफिक्स और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा।

10. जिला स्तरीय फिल्म समन्वय समिति

फिल्म समन्वय समिति फिल्म निर्माताओं को संबंधित जिलों में फिल्म निर्माण के दौरान सुविधा प्रदान करेगी। यह समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :

क्र०	जिला स्तरीय फिल्म समन्वय समिति के सदस्य	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	अपर जिला पदाधिकारी-नोडल पदाधिकारी,	सदस्य
4	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी	सदस्य
5	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी	सदस्य
6	जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य
7	जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी	सदस्य सचिव

नोट : यह समिति अपेक्षानुसार विभाग/निदेशालय/बोर्ड/ट्रस्ट/संगठन आदि के पदाधिकारी/प्रतिनिधि को बुलाने के लिए सशक्त होगी।

- 10.1 शूटिंग दिवसों में फिल्म निर्माताओं को हितधारकों, जमीनी मंजूरी, विधि व्यवस्था सहयोग आदि की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना।
- 10.2 जिलों में संबंधित फिल्म निर्माताओं द्वारा शूटिंग दिवसों की संख्या के आँकड़ों तथा सूचना का संग्रह करना।
- 10.3 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म निगम के साथ संपर्क करना तथा विहित फार्मेट में रिपोर्ट समर्पित करना।

11. एकल खिड़की मंजूरी

फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस को आकर्षित करने के लिए एक सुव्यस्थित और कुशल मंजूरी प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिल्म निर्माताओं को शूटिंग ईकाइयों के लिए अप्रतिबंधित पहुंच के साथ-साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना ताकि शूटिंग बिना किसी बाधा के जारी रह सके न केवल राज्य में रचनात्मक संभावनाओं को बढ़ाएगी बल्कि प्रोडक्शन हाउस को आकर्षित करने में भी योगदान देगी।

- 11.1 फिल्म निगम राज्य में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिन्दु इंटरफेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाईन फिल्म वेब पोर्टल तैयार करेगा।
- 11.2 यह पोर्टल फिल्म प्रोत्साहन नीति, नियम, विनियम से संबंधित सूचना देने तथा प्रोत्साहन राशि/मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुदान तथा अन्य उपयोगी सेवाओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए एकल प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा।
- 11.3 फिल्म निगम राज्य में शूटिंग, सुरक्षा व्यवस्था, सब्सिडी/अनुदान तथा फिल्म निर्माण, प्रसंस्करण और प्रोत्साहन के लिए दैनिक परिचालन सहायता हेतु एकल खिड़की के माध्यम से आवेदन प्रसंस्करण में फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा।
- 11.4 यह निबंधन, आवेदन, अनिवार्य अनुमोदन, शिकायत निवारण, अंकेक्षण तथा समय पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया को सुप्रवाही तथा स्वचालित भी करेगा।
- 11.5 समस्त नीति दस्तावेज और फारम, फिल्म निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 11.6 दिशानिर्देशों के अनुसार यह नीति, अनुमति चाहनेवाले तथा सब्सिडी का दावा करनेवाले सभी योग्य क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं पर लागू होगी।
- 11.7 फिल्म निगम के वेब/मोबाइल पोर्टल पर एकबार ऑनलाईन निबंधन अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर शूटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 11.8 राज्य में फिल्मांकन किए जाने के लिए संबंधित परियोजना (फिल्म) हेतु निबंधन पश्चात् ऑनलाईन आवेदन संबंधित निर्माण गृह (प्रोडक्शन हाउस)/फिल्म निर्माता द्वारा समर्पित किया जायेगा।

- 11.9 फिल्म निगम द्वारा सम्यक् जाँचोपरान्त सब्सिडी अनुमोदन पत्र आवेदक को दिया जाएगा।
- 11.10 परियोजना (फिल्म) के पूरा होने/प्रदर्शित होने के पश्चात् प्रोडक्शन हाउस/फिल्म निर्माता, प्रोत्साहन राशि/सब्सिडी को संसाधित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्तुत करेगा।
- 11.11 फिल्म निगम फिल्म निर्माताओं से ऑडियो/वीडियो या किसी अन्य साधन के माध्यम से स्वघोषणा/वचनबंध की माँग करेगा कि राज्य के बारे में उसका कोई विपरीत या नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है।
- 11.12 प्रोत्साहन/सब्सिडी राशि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में ऑनलाइन दी जाएगी।
- 11.13 प्रत्येक जिले में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जायेगा, जो कि फिल्म नीति के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा।

12. फिल्म नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन :-

- 12.1 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म निगम में फिल्म निर्माण/टीवी सीरियल/वेब श्रृंखला आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- 12.2 फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकारिक फिल्मांकन करने के दृष्टिकोण से प्रदेश में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण किये जाने पर अनुदान हेतु निम्न पात्रता मापदंड निर्धारित किये जाते हैं :-

13. फिल्मों के लिए अनुदान

13.1 पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :-

क्र०	पहली फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1.	₹ 2 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो।
2.	₹ 2.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो।

13.2 दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :-

क्र०	दूसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1.	₹ 2.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो।
2.	₹ 3.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो।

13.3 तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :-

क्र०	तीसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1.	₹ 3.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो।
2.	₹ 4.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो।

13.4 यदि राज्य में 75% से अधिक शूटिंग दिवस वाली फिचर फिल्म के फिल्मांकन में राज्य को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो, तथा राज्य को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता हो तो ऐसी फिल्म को प्रत्येक श्रेणी में (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फिल्म) अधिकतम ₹ 50.00 लाख फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा दिया जायेगा।

13.5 राज्य विशेष ब्रांडिंग की दृष्टि से राज्य पर आधारित कहानी/स्क्रिप्ट पर राज्य में फिल्मांकन एवं फिल्म निर्माण हेतु फिल्म की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अथवा ₹ 2.00 करोड़ जो भी कम हो, का विशेष अनुदान दिया जा सकेगा। इस प्रकार के अनुदान विषयक निर्णय के लिए सशक्त समिति अधिकृत होगी।

13.6 यदि फिल्म निर्माता राज्य के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा हो तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम तीन प्रमुख स्तर के कलाकारों के लिए अधिकतम 25.00 लाख ₹0 प्रदान किये जायेंगे और न्यूनतम पांच द्वितीयक स्तर के कलाकारों के लिए 10.00 लाख ₹0 अथवा दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो प्रदान की जायेगी।

13.7 फिल्म निर्माण की कुल लागत और कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन में प्रस्तुत की गयी है, का निर्णय आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जायेगा।

13.8 बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका इत्यादि क्षेत्रीय फिल्मों के लिए अनुदान की राशि कुल सीमा लागत का अधिकतम 50% होगी तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में निर्मित फिल्म के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25% होगी।

13.9 फिल्म संबंधी सभी अनुदान और प्रतिपूर्ति फिल्म प्रमाणन बोर्ड के U अथवा U/A प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं फिल्म के रिलीज होने पर दिए जाएंगे। टीवी धारावाहिक/वेब श्रृंखला आदि को भी अनुदान की राशि टीवी/मीडिया प्लेटफार्म पर रिलीज होने पर ही देय होगी।

13.10 राज्य में शूटिंग दिवसों की संख्या के बारे में जानकारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी।

14. राज्य में टी.वी. धारावाहिकों/शो की शूटिंग के लिए आर्थिक सहायता

क्र.	सब्सिडी (आर्थिक सहायता)	मानदंड
1.	50 लाख तक या कुल निर्माण लागत (सीओपी) का 25%, जो भी कम हो	राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग
2.	1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत (सी ओ पी) का 25%, जो भी कम हो	राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग

14.1 ऊपर की आर्थिक सहायता केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान की जाएगी, जो जीईसी (आम मनोरंजन चैनल) से प्रसारण कार्यक्रम का प्रमाण-पत्र जमा करेंगे।

14.2 यदि टीवी धारावाहिक निर्माता बिहार के कलाकारों (अभिनेताओं, निर्देशकों, पटकथा लेखकों, चलचित्रकारों (सिनेमेटोग्राफर) और अन्य फिल्म तकनीशियनों) को पर्याप्त कार्य अवसर प्रदान कर रहा है तो 25 लाख की अतिरिक्त आर्थिक सहायता या वास्तविक शुल्क भुगतान का 50% जो भी कम हो प्रदान की जाएगी।

15. ओटीटी (ओवर द टॉप) मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली वेब श्रृंखला के लिए आर्थिक सहायता :

क्र.	आर्थिक सहायता राशि	मानदंड
1.	2 करोड़ तक या निर्माण लागत (सीओपी) का 25%	कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूट के 30 दिवस
2.	3 करोड़ तक या निर्माण लागत (सीओपी) का 25%	कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70% या राज्य में शूट के 60 दिवस

16. बिहार में शूट किए जाने वाले वृत्तचित्र के लिए आर्थिक सहायता

राज्य में पर्यटक स्थलों, वन्यजीव, इतिहास, विरासत, संस्कृति, भोजन, हस्तशिल्प, धार्मिक उत्सव एवं प्रदेश से जुड़ी विरासत/इतिहास की कहानी आदि विषयों पर वृत्तचित्र निर्माण के लिए अनुभवी और प्रतिष्ठित वृत्तचित्र निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 30 लाख की आर्थिक सहायता या कुल निर्माण लागत के 50% के समतुल्य, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाले वृत्तचित्र के लिए 40 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता या कुल निर्माण लागत के 50% के समतुल्य, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।

17. राज्य में फिल्म निर्माण की आधारभूत संरचना की स्थापना के लिए अनुदान राज्य में फिल्म निर्माण और प्रसंस्करण से संबंधित आधारभूत संरचना और सेवा आधारभूत संरचना को बनाने हेतु निवेशकों के लिए निम्नलिखित अनुदान देय होगा :

क्र.	अनुदान स्कीम	न्यूनतम परियोजना लागत (लाख में)	अधिकतम प्रोत्साहन (%में)	अधिकतम अनुदान सीमा (लाख में)
i	आधारभूत संरचना फिल्म सेट/फिल्म सिटी/थीम पार्क/ थीम-गाँव, बीएफएक्स के लिए फिल्म स्टुडियो एनिमेशन, ध्वनि रिकॉर्डिंग/डबिंग, रंग सुधार स्थापित करने के लिए	200	25%	150
ii	फिल्म निर्माण और प्रसंस्करण के लिए फिल्म प्रकाश, उच्च रिजॉल्युशन कैमरा, ध्वनि प्रणाली, डबिंग आदि के लिए	100	25%	100
iii	पूरी तरह से सुसज्जित स्टुडियो की स्थापना के लिए	50	25%	25
iv	एनिमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स केंद्र तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं आदि की स्थापना के लिए	50	25%	25

नोट:- आवेदनकर्ता को यह अनुदान राज्य के किसी एक ही नीति यथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति/बिहार पर्यटन नीति/बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत देय होगा।

18. आवास और परिवहन सुविधाएं

- 18.1 विभिन्न बजट श्रेणियों में होटल और गेस्ट हाउसों को फिल्म निगम के साथ सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- 18.2 फिल्म इकाइयों को उनके ठहरने की अवधि के लिए फिल्म निगम के सूचीबद्ध गेस्ट हाउसों और होटल में विशेष दर पर बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा दी जाएगी।
- 18.3 फिल्म निगम फिल्म इकाइयों को शूटिंग हेतु परिवहन सुविधा अनुदानित दर पर प्रदान करेगा।

19. उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाएं हेतु योजना

फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाएं आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा छविग्रहों में भौतिक सुख-संसाधन तथा प्रौद्योगिकी के कुछ मानकों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष योजना बनाई जाएगी। सिने व्यवसाय को आर्थिक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से बन्द/घाटे में चल रहे छविग्रहों को पुनर्संरचित कर 125 अथवा अधिक सीटों की क्षमता के छोटे सिनेमा हॉल सहित व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

20. बिहार फिल्म महोत्सव एवं राज्य फिल्म पुरस्कार

20.1 बिहार की स्थानीय संस्कृति भाषा और परम्पराओं को बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचाने और राज्य के उभरते और स्थापित फिल्म निर्माताओं को अपने काम को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राज्य में बिहार फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के माध्यम से स्थानीय कलाकारों तकनीशियनों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही बिहार में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

20.2 बिहार फिल्म निगम हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार देगा जिसके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

20.3 यह पुरस्कार निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं, संगीतकारों, गायकों, गीतकारों, पटकथा लेखन, तकनीशियनों, सिनेमेटोग्राफी, मेकअप कलाकार, कॉस्ट्यूम डिजाईनर, एवं अन्य कर्मी दलों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा।

20.4 यह पुरस्कार ऐसे बिहारी फिल्म निर्माताओं/निर्देशकों एवं अन्य कलाकारों को भी सम्मानित करेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों और मंचों पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

20.5 यह पुरस्कार क्षेत्रीय एवं हिंदी भाषाओं की उत्कृष्ट फिल्मों को अलग-अलग प्रदान किया जाएगा।

20.6 पुरस्कार सम्मान राशि, समय-समय पर बिहार फिल्म प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित की जाएगी।

21. फिल्मों के प्रचार प्रसार की व्यवस्था

किसी भी फिल्मों के प्रचार-प्रसार का उनकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार ऐसा पाया गया है कि उत्कृष्ट श्रेणी की क्षेत्रीय फिल्में विपणन एवं जानकारी के अभाव में दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा जनसाधारण में स्थानीय विषयों मुद्दों एवं बिहार की विभिन्न भाषाओं में बनी फिल्मों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित फिल्मों को राज्य के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सहायता दी जाएगी। इससे न केवल एक तरफ जनसाधारण को अच्छी गुणवत्ता वाली क्षेत्रीय फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा तो दूसरी तरफ कम बजट की गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को भी बल मिलेगा।

22. राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों का राज्य के सभी तरह के सिनेमाघरों में अनिवार्य प्रदर्शन

राज्य की क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने एवं फिल्म निर्माण की लागत की वसूली के लिए यह आवश्यक है कि इन फिल्मों को सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने का अवसर मिले। इसलिए बिहार फिल्म नीति के अंतर्गत प्रदेश के सभी सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स को राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों को सभी सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।

23. बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रचार-प्रसार

बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को लक्षित समूह/व्यक्तियों/संघों तक प्रचारित करने के लिए फिल्म निगम द्वारा राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर विभिन्न कार्यक्रम यथा सम्मेलन एवं संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही फिल्मों से जुड़े महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम जिनमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, निदेशक, निर्माता अथवा फिल्म उद्योग के अन्य जानी मानी हस्तियों द्वारा प्रतिभागिता की जाती हो, में सम्मिलित हो बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

24. नीति का कार्यान्वयन : फिल्म प्रोत्साहन नीति का कार्यक्षेत्र समूचा बिहार होगा।

25. विवाद समाधान : नीति के कार्यान्वयन में किसी विवाद का समाधान सशक्त समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

26. संशोधन : सशक्त समिति बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के किसी प्रावधान में संशोधन, व्याख्या तथा स्पष्टीकरण के लिए प्राधिकृत की जायेगी।

परिचालन दिशा-निर्देश:

बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश अलग से जारी किए जायेंगे।

27. यह नीति बिहार राजपत्र में इस नीति की अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

28. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 19.07.2024 को मद संख्या-15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

(हरजोत कौर बम्हरा)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :-2/वि. 60-112/2022.....645

पटना दिनांक:-19/7/2024

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशित करने के लिए। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित करें तथा इस विभाग को उपलब्ध कराएँ।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :-2/वि. 60-112/2022.....645

पटना दिनांक:-19/7/2024

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
19/7/24

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :-2/वि. 60-112/2022.....645

पटना दिनांक:-19/7/2024

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
19/7/24

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :-2/वि. 60-112/2022.....645

पटना दिनांक:-19/7/2024

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
19/7/24

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :-2/वि. 60-112/2022.....645

पटना दिनांक:-19/7/2024

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक की मद संख्या-15, दिनांक 19.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
19/7/24

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :-2/वि. 60-112/2022.....645

पटना दिनांक:-19/7/2024

प्रतिलिपि :- मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव कोषांग/सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर/पी0एम0यू0 लीड, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, पटना/सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना/सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना/निदेशक, मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
19/7/24

सरकार के अपर मुख्य सचिव।